

D. B. College, Jaipur  
Deptt of Pol. science  
B.A III, Pub. Admini-

DR. A. K. Yadav  
Asstt prof. b.p. ET  
Political science  
Date-20-10-2020

### Lecture No-22

#### मुख्य कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार →

किसी भी देश की मुख्य कार्यपालिका का रूप व संघ की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार निर्धारित होता है। अधिनायकत्व में मुख्य कार्यपालक विद्या व शक्ति के अंत पर राज्य को संचालित करता है और संवैधानिक समर्पण के माध्यम से अपनी सत्ता को बनाए रखता है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में जनता के द्वारा निर्वाचित विधायिका होती है और वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें, तो मुख्य कार्यपालिका के तीन प्रकार हैं -

- 1- संसदात्मक
- 2- आध्यात्मिक
- 3- बहुराज्य कार्यपालिका

① संसदात्मक कार्यपालिका (Parliamentary Executive) - यह शासन की वह व्यवस्था

है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर सम्बन्धित होती है और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था के प्रमुख उदाहरण के रूप में भारत और ब्रिटेन को रखा जा सकता है। इन देशों में वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका अलग-अलग है। भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का क्वीन या क्वीनमैट्री को नाममात्र का मुख्य कार्यपालिका कहा जाएगा। संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति संविधान से निहित होती है।

(2) अध्याशासक कार्यपालिका (Presidential Executive) — अध्याशासक शासन प्रणाली वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका में अंतर नहीं होता है। इसमें सभी कार्यपालिका शक्तें मूल्य कार्यपालिका में ही सन्निहित रहती हैं और स्वयं-बद उस शक्ति के का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करता है। इस प्रकार की शासन प्रणाली को लार्दीधिक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में अमेरिकी शासन व्यवस्था को माना जा सकता है। जहाँ का शासन राष्ट्रपति होता है और वह सर्वोच्च होता है। गैरत का यह कथन काफी महत्वपूर्ण है कि — "अध्याशासक शासन वह प्रणाली है, जिसमें कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यपालक और बहुत कुछ शक्ति तक अपनी नीतियों और कार्यों के लिये जिम्दार होता है स्वतंत्र होता है।"

(3) बहु कार्यपालिका — (Plural Executive) — बहु या सांख्यिक कार्यपालिका एक प्रकार की ऐसी कार्यपालिका है जिसके अन्तर्गत शक्ति का अतिरिक्त रूप में एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के समूह में निहित होती है। इसका प्रमुख उदाहरण स्विट्स कार्यपालिका है। जो संसदीय एवं अध्याशासक शासन प्रणाली दोनों में से किसी के भी अन्तर्गत नहीं रखी जा सकती है बल्कि इसमें दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों का गुण देखने को मिलता है। संसदीय शासन प्रणाली की जैसी वह एक बहु निष्काय होती है जिसमें सात सदस्य होते हैं तथा ये सभी पद की दृष्टि से समान होते हैं। इन सातों व्यक्तियों को क्रमवार रूप से अध्यक्ष पद का अवसर मिलता है, लेकिन सभी की शक्तियाँ लगभग समान होती हैं। स्पष्ट है कि वहाँ प्रधानमंत्री जैसे पद नहीं है, जो सामान्य अर्थों में सर्वोच्च है। यहाँ उल्लेखनीय है कि स्विट्सलैण्ड की कार्यपालिका एक विशिष्ट काल के लिए निर्वाचित की जाती है और इस अवधि में उसे उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। बहु कार्यपालिका की अब तक की चर्चा से स्पष्ट है कि उसे दोहरे कार्यों का सम्पादन करना पड़ता है — राजनीतिक कार्य और प्रशासकीय कार्य।